जम्मू तथा काश्मीर को ऋण

83. **श्री निरंजन वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को ऋणों तथा विभिन्न मदों के अन्तर्गत अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक उस राज्य को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है, और

(ग) क्या ऋणों के देय हो जाने के बाद से वह राज्य ऋणों तथा उन पर देय ब्याज की अदायगी प्रति वर्ष नियमित रूप से कर रहा है ?

†[LOANS TO JAMMU & KASHMIR

83. SHRI NIRANJAN VARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount given to the State of Jammu and Kashmir in the years 1967-68 and 1968-69 in the form of loans and grants under various heads ;

(b) the total amount given to that State in the form of loans and grants since the achievement of independence ; and

(c) whether the repayment of the loans given to the State and the payment of interest due from them are being made regularly by that State each year since the loans became repayable ?]

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष केन्द्रीय ऋणों की वापसी तथा ब्याज की देय रकमो की वसूली को 1968-69 के अन्त तक स्थगित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था, जिसे मान लिया गया था।

विवरण

(क) 1967-68 और 1968-69 में जम्मू और काश्मीर की सरकार को दी गयी वित्तीय सहायता।

(करोड़ रुपयों में)

	1967-68 लेखे	1968-69 संशोधित अनुमान
I. अनुदान		
1. आयोजना से भिन्न अनुदान		
(i) पुलिस	..	3.30
(ii) सरकारी निर्माण-कार्य	..	4.91

†[ ] English translation.

	(करोड रुपयो मे)	
	1967-68 लेखे	1968-69 सशोधित अनुमान
(iii) राज्य के बाहर से अनाज लाने के सम्बन्ध में उठाने-धरने तथा परिवहन का खर्च	..	5.00
2 **विविध अनुदान**		
(i) सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	..	1.59
(ii) अन्य सहायक अनुदान	9.18	..
(iii) आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4 96	4.00
जोड : अनुदान	14 14	18 78
II. ऋण	19.97	19.56
कुल जोड़	34 11	38 34

(ख) 1947–48 से 1968–69 तक जम्मू तथा काश्मीर की सरकार को दिये गये ऋणों तथा अनुदानों की कुल रकम

	(करोड रुपयो में)
ऋण	150 00 (28–2–69 तक)
अनुदान	110.23*
जोड़	260 23

* इसमें संविधान के अनुच्छेद 275 के अतर्गत सविधिक सहायक अनुदान शामिल नही हैं।

†[THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI R. DESAI) : (a) and (b). A *statement is laid on the* table of the House.

(c) No, Sir. The State Government had last year approached the Government of India for postponement of recovery of dues on account of repayment of Central loans and

†[ ] English translation.

payment of interest charges until the end of 1968-69 which was agreed to.

STATEMENT

(a) Financial assistance provided to the Government of Jammu & Kashmir in 1967-68 and 1968-69.

(*Rs. in crores*)

	1967-68 Accounts	1968-69 Revised estimates
I. *Grants*	..	
1. Non-Plan Grants		
(i) Police . .	..	3·30
(ii) Public Works	..	4·91
(iii) Handling and transport charges on account of transport of foodgrains from outside the State	..	5·00
2. Miscellaneous Grants		
(i) Development of border areas	..	1·50
(ii) Other grants-in-aid . .	9·18	..
(iii) Grants towards plan schemes .	4·96	4·00
TOTAL Grants	14·14	18·78
II. *Loans* . .	19.97	19·56
GRAND TOTAL	34.11	38.34

(b) Total amount of loans and grants given to Government of Jammu and Kashmir since 1947-48 upto 1968-69.

(*Rs. in crores*)

Loans	150·00 (upto 28-2-69)
Grants	110·23*
TOTAL .	260·23

*[Does not include statutory grants-in-aid under article 275 of the Constitution.]

गृह-निर्माण सोसायटियों को भूमि का आवंटन

84. **श्री निरंजन वर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने रजिस्टर्ड गृह-निर्माण सोसायटियों ने मकान बनाने हेतु जमीन के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र दे रखे हैं; और

(ख) उनमें से कितनी सोसायटियों को जमीन आवंटित कर दी गई है और शेष सोसायटियों को जमीन आवंटित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†[ALLOTMENT OF LAND TO HOUSING SOCIETIES

84. SHRI NIRANJAN VARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of Registered Housing Societies which have applied for allotment of land for building houses in Delhi ; and

(b) the number of Societies out of them which have been allotted land and what steps are being taken to allot land to the remaining Societies ?]

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) भूमि के लिए 210 समितियों ने आवेदन दिया, परन्तु जब आवंटन के लिए भूमि पेश की गई, केवल 147 समितियों ने इसे स्वीकार किया।

(ख) 60 समितियों को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है। 38 अन्य समितियों के मामलों को अन्तिम

†[ ] English translation.